समाचार-प्रकाशनार्थ:-

कोरोना से बचाव हेतु मा0 मुख्यमंत्री श्री शवराज संह जी चौहान द्वारा सामाजिक सस्थाओं से कये सीधे संवाद को देखा व सुना

रतलाम 06 अप्रैल । कोरोना महामारी की रोकथाम में समाज की भागीदारी सुनिश्चित कये जाने हेतु प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शवराज संह जी चौहान 06 अप्रैल मंगलवार को जिले की व भन्न सामाजिक संस्थाओं से एन.आई.सी. की व डयो कान्फ्रे संग के साथ कये गये सीधे संवाद को नगर निगम सभाग्रह में एलईडी वॉल स्क्रीन के माध्यम से देखा व सुना।

इस अवसर पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारियाए उपायुक्त श्री वकास सोलंकीए कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए सहायक यंत्री श्री श्याम सोनीए उपयंत्री श्री राजेश पाटीदार सहित निगम के अ धकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

ड्रायवर व हैल्पर गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक लें
निगम आयुक्त श्री झारिया ने दिये निर्देश

रतलाम 06 अप्रैल। रतलाम नगर को स्वच्छता में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड के निर्देशानुसार निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा नगर के सभी 49 वार्डो को जीरो वेस्ट बनाया गया है जिसके तहत घर-घर से गीला एवं सुखा कचरा पृथक-पृथक लया जा रहा है इस कार्य में कसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो इस हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर व हैल्परों मटिंग लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने ड्रायवर व हैल्परों को बताया स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में नगर निगम रतलाम 5 स्टार रैं कग में सम्मि लत है इस हेतु नगर के शत-प्रतिशत घरो से गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक लया जाना है इस हेतु कचरा संग्रहण वाहनों के साथ रैग पकर्स महिलाऐं

अपना कार्य तो कर ही रही है साथ ही आप सभी का भी दायित्व है क इस कार्य में कसी प्रकार की लापरवाही ना हो व घर-घर से पृथक कचरा लया जाना सुनिश्चित करें।

घर-घर से पृथक-पृथक लये गये गीले एवं सूखे कचरे को वनोबा नगर मुक्तिधाम के पासए पोलोग्राउण्डए ईश्वर नगरए अमृत सागर तालाब व वरियाखेड़ी के सूखा कचरा पृथक्कीकरण केन्द्र पर ले जाया जाकर सूखा कचरा खाली कया जाये ता क रैग पकर्स महिलाओं द्वारा सूखे कचरे का पृथक्कीकरण कया जाकर कबाड़ी को वक्रय कया जा सके। इसके अलावा कचरा संग्रहण वाहन के गीले कचरे को वनोबा नगर मुक्तिधाम व अमृत सागर तालाब के पास खड़े कये गये काम्पेक्टर में डाला जाये ता क कचरा संग्रहण वाहनों को अनावश्यक जुलवानिया का चक्कर ना लगाना पड़े व समय की बचत भी हो साथ ही वजन में भी सु वधा हो सके। उन्होने यह भी निर्देश दिये क वरियाखेड़ी कचरा पृथक्कीकरण केन्द्र पर आने वाले कचरा संग्रहण वाहन गीला कचरा जुलवानिया जाकर डालेंगे। उन्होने कहा क आप सभी के सहयोग से ही रतलाम नगर स्वच्छता में नम्बर 1 बन सकता है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने यह भी निर्दे शत कया क वे ड्यूटी के दौरान ड्रेस कोड में उपस्थित रहें अन्यथा संबं धत के वेतन काटने व सेवा से बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

इस अवसर पर उपायुक्त श्री वकास सोलंकीए कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवालए स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए उपयंत्री श्री ब्रजेश कुशवाहए झोन प्रभारी श्री करण चौहानए उद्यान पर्यवेक्षक श्री धर्मेन्द्र दोगाया सहित कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर व हैल्पर उपस्थित थे।

कोरोना से बचाव के लए नगर निगम का बड़ा प्रयास आज

शहर के हर कोने में एक हजार एक रांगोली से माध्यम से लोगों को कोरोना

गाईड लाईन का पालन करने की अपील की जाकर माँस्क का वतरण होगा

रतलाम 06 अप्रैल । कलेक्टर और निगम प्रशासक गोपालचंद डाड और निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में को वड महामारी की दूसरी लहर के दौरान आमजन को संक्रमण से बचाने के लए तमाम प्रयास कए जा रहे है। इसी कड़ी में आगामी 7 अप्रेल बुधवार को शहर के अनेकों इलाकों में एक हजार एक रांगोली का निर्माण कर को वड गाईड लाईन के माध्यम से नागरिकों को जागरुक कया जाकर मॉस्क वतरण कर नागरिकों को सही ढंग से मॉस्क पहनने का तरीका भी समझाया जाएगा।

आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया क को वड महामारी की इस घड़ी में मास्क का उपयोगए दो गज की दूरी और हाथों को सैनेटाईज करने की प्र क्रया हमे इस वायरस से बचा सकने में सहायक है।

मास्क न केवल लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाव करने में मदद करेगा बल्कि इसके जरिए आप मौसम में होने वाली और भी कई एलर्जी से छुटकारा पा सकते हैं. ग र्मयों का मौसम लगभग शुरू हो गया है. ऐसे में धूल म ी के कारण अक्सर लोगों को त्वचा से संबं धत परेशानियां हो जाती हैं.

श्री झारिया ने नागरिकों से आव्हान कया है क मास्क पहनने से आप केवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बल्कि खुद को और भी कई बिमारियों से बचा पाने में सक्षम रहेंगे. इस लए को शश करें की अ ‘छी क्वा लटी का मास्क पहने अगर आप स्वस्थ है तब भी मास्क का इस्तेमाल करें. जो आपको और अपके आसपास के सभी लोगों को सुर क्षत रखने में मदद करेगा.

उन्होने नागरिकों से आव्हान कया है क बुधवार को नगर निगम 1001 रांगोली का निर्माण कर लोगों को को वड से बचाव का संदेश दे रहा है ऐसे में नागरिक अपनी घरों -दुकानों के बाहर एक रांगोली के माध्यम से शहवा सयों को को वड बचाओं का संदेश दे।

पॉलीथीन का उपयोग करने व गंदगी करने पर 3 व्यक्तियों पर जुर्माना

50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग प्रतिबं धत

मास्क नहीं लगाने वाले 18 व्यक्तियों पर कया जुर्माना

रतलाम 06 अप्रैल। षासन निर्देषानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबं धत कये जाने के तहत कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

50 माईक्रॉन की पॉलीथीन का उपयोग करने व गंदगी करने पर बलराम चांदनी चौक व रामजी त्रिपो लया गेट पर 500.500ए पुश्पेन्द्र चांदनी चौक पर 250 रूपये का जुर्माना कया गया साथ ही नगर के व भन्न क्षेत्रों में बगैर मास्क वाले 18 व्यक्तियों पर 100.100 रूपये का जुर्माना कया गया। जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहान व श्री पर्वत हाड़ेए उप स्वच्छता निरीक्षक श्री वराट मेहरा के अलावा मनोज टांकए पवन झांझोटए आकाष षन्देए राकेष ललावत व मनोज झांझोट आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलानेए अतिक्रमण करने पर संबं धतों के वरूद्ध जुर्माना कये जाने का अ भयान निरंतर जारी रहेगा।

निगम अ धकारी एवं कर्मचारी कोरोना का
दुसरा टीका अनिवार्य रूप से लगवायें

रतलाम 06 अप्रैल। नगर निगम के अ धकांश अ धकारी एवं कर्मचारियों ने कोरोना का दुसरा टीका लगवा लया है कन्तु कुछ अ धकारी एवं कर्मचारी दुसरे चरण के टीके से वं चत है वे अपनी व अपनों की सुरक्षा हेतु अनिवार्य रूप से टीका लगवायें।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क कोरोना जैसी महामारी से आप सभी सुर क्षत रहे यह शासन एवं नगर निगम का उद्देश्य है । टीकाकरण से शेष रहे अ धकारी एवं कर्मचारी जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित टीकाकरण केन्द्र पर उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से टीका लगवायें। ऐसे अ धकारी एवं कर्मचारी जो क टीकाकरण में रू च नहीं दिखा रहे है उनके वरूद्ध नगर निगम द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

नागरिकों के सहयोग से स्वच्छता में रतलाम नगर बनेगा नम्बर 1

नगर के सभी 49 जीरो वेस्ट वार्डो में घर-घर से कया जा रहा है कचरा एकत्रीकरण

रतलाम 06 अप्रैल। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार रतलाम नगर के सभी 49 वार्डो को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया जा चुका है जिसके तहत स्व सहायता समूह की रैग पकर्स महिलाओं को शहर में ही रोजगार मलने के साथ ही सूखे कचरे का निष्पादन भी कया जा रहा है इस कार्य में रतलाम नगर के नागरिक भी जागरूक हो चुके है नागरिकों के सहयोग से ही रतलाम नगर स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में नम्बर 1 बनेगा।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क नगर के सभी 49 वार्डो को जीरो वेस्ट वार्ड बनाये जाने से वार्डो की सड़कोंए ग लयों एवं ना लयों में कचरे की मात्रा कम हुई है नागरिक भी प्रातः अपने घरोंए दुकानों से निकलने वाले कचरे का स्वंय गीले एवं सूख्खे कचरे पृथक्कीकरण कर कचरा संग्रहण वाहन में डाला जा रहा है इस कार्य में रैग पकर्स महिलाओं द्वारा भी पुरा सहयोग कया जा रहा है। निगम कचरा संग्रहण वाहन के सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली कया जाकर रैग पकर्स महिलाओं द्वारा पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पै कंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि को पृथक कर कबाड़ी को बेचा जा रहा है जिसका कबाड़ी द्वारा रजिस्टर भी संधारित कया जा रहा है।

वार्डो में कचरा संग्रहण वाहन के साथ दुर्गा व ईश्वर स्व सहायता समूह रैग पकर्स महिलाए आई.ई.सी. टीम के सदस्यए वार्ड पर्यवेक्षकए दरोगाए इंजीनियर आदि ने वार्ड के 100 प्रतिशत घरो पर जाकर नागरिकों से गीला एव सूखा कचरा पृथक-पृथक प्राप्त कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक वाहनों में डाला। संग्रहित कये गये सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली कर समूह की महिलाओं द्वारा कचरे की छंटती कर एकत्रित कया गया। नागरिकों से अपील जाती है क वे अपने घरो एवं दुकानांे से निकलने वाले गीले एवं सूखे कचरे को पृथक-पृथक कचरा पात्रों में

एकत्रित कर अपने घर के बाहर रख दें निगम द्वारा उसे कचरा संग्रहण वाहन में पृथक-पृथक डाला जायेगा।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया क स्व सहायता समूहों की रैग पकर्स महिलाऐं अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन करने के लये अपने बच्चों के साथ जुलवानिया टे॰ चंग ग्राउण्ड पर सूखे कचरे से प्लास्टिकए रबरए बॉटल व अन्य सामग्री अलग-अलग करके कबाड़ी को वक्रय कर नारकीय जीवन व्यतीत कर रही थी। जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के तहत अब जुलवानिया की रैग पकर्स महिलाओं को वार्डो में ही काम मलने लगा है व इनकी सुरक्षा के लये निगम द्वारा एप्रीनए ग्लबसए मास्क आदि उपलब्ध कराये गये है। इन्हे वार्ड में ही कार्य मलने से इनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

गंदगी का मुख्य कारण है पॉलीथीन इस लये 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन को पूर्णतः बंद कया जाना है इस हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने सभी वार्ड पर्यवेक्षकए दरोगाए स्पॉट फाईन दल यह निगरानी रखें क इसका भण्डारण कहां होता है व वक्रय कौन कौन करता है सही जानकारी प्राप्त होने पर संब धत की पॉलीथीन जब्त की जाकर फुटकर व्यवसायियों पर 50 व दुकानदारों पर 5000 का स्पॉट फाईन कया जाये।

पॉलीथीन व डस्पोजल आयटम चरणबद्ध तरीके से होगा प्रतिबं धत

रतलाम 06 अप्रैल । गंदगी का मुख्य कारण प्लास्टिक होने से षासन द्वारा पॉलीथीन बैग व डस्पोजेबल आयटमों को प्रतिबं धत कया गया है। नगरीय क्षेत्र रतलाम में पॉलीथीन बैग व डस्पोजेबल आयटमों पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बैठक में निगम अ धकारियों को निर्दे षत कया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बैठक में निर्दे षत कया क 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की हैण्डल सहीत व हैण्डल रहीत पॉलीथीन को पूर्णतः प्रतिबं धत कया जाना है इस हेतु व्यापक प्रचार प्रसार कया जाये साथ ही प्लास्टिक व थर्मोकॉल के डपोजेबल आयटमों को भी प्रतिबं धत कया जाना है।

नागरिक व दुकानदार पॉलीथीन बैग के स्थान पर कपड़े की थैलीए नारियल या जूट की थैली का उपयोग करेंए प्लास्टिक व थर्मोकोल से नि र्मत कपए ग्लासए कटोरीए चम्मचए कन्टेनरए स्ट्रॉ आदि के स्थान पर पेपर स्ट्रॉए पेपर प्लेटए दोने पत्तलए पत्तो से नि र्मत बाउलए केले के तने तथा नारियल के पत्तों से नि र्मत प्लेट एवं बाउलए म ी के कुल्लहड़ आदि का उपयोग खाद्य एवं पेय पदार्थो के लये करें इस हेतु प्रेरित कया जाये।

बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने पॉलीथीन व डस्पोजेबल आयटमों के वक्रयए भण्डारण तथा उपयोग पाये जाने पर जब्ती व अर्थदण्ड की कार्यवाही कये जाने के निर्देष संबं धत को दिये।

खुले में गंदगी करने व पॉलीथीन का वक्रय व उपयोग करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 06 अप्रैल । नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले मेंए नाले-ना लयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना कये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में वराट मेहराए उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मो.नं. 9770326691 को दल प्रभारी नियुक्त कया है इसके अलावा मनोज टांक मो.नं. 7000848456ए पवन झांझोट मो.नं. 7000128812ए आकाष षन्दे मो.नं. 9424075393ए मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110ए राकेष ललावत मो.नं. 7000128812 दल प्रभारी के साथ रहकर नगर में नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले मेंए नाले-ना लयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते है उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है क षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 06 अप्रैल । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 06 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरोंए दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित कये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सटीजन फीडबैक लया।

सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 06 अप्रैल । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मशन के तहत सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने के लये भारत सरकार द्वारा तैयार कये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमक र्मयों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के व भन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मशन के तहत कये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लये अपने एन्ड्रोयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करेंए उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण कया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 06 अप्रैल । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अप शष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने

गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।
नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लये हरा डस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पै कंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि के लये नीला डस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लये पेन्ट के डब्बेए पेस्टीसाइड के डब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लये काला डस्टबीन तथा मे डकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए संरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के व भन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबं धत के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं. व./हेमन्त/06ण्04ण्2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.